

#### असाधारण

## **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 509]	नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर ३, २०१९/भाद्र १२, १९४१
No. 509]	NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 2019/BHADRA 12, 1941

# कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (प्रशिक्षण महानिदेशालय) अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2019

सा.का.िन. 626(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रशिक्षण निदेशालय (महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम) प्रशिक्षण अधिकारी अथवा तकनीकी अधिकारी समूह 'ख' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2003 तथा प्रशिक्षण निदेशालय (महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम) प्रशिक्षण अधिकारी (समूह 'ख'- राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है अथवा करने का लोप किया गया है, महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित कर्मकार एकक में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण महानिदेशालय (महिला प्रशिक्षण), के प्रशिक्षण अधिकारी समूह 'ख' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2019 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर** : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि:- उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता** वह व्यक्ति –
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति अथवा जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है अथवा

4559 GI/2019 (1)

- (ख) जिसने अपने पति अथवा अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः
- परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
- 5. शिथिल करने की शक्ति— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके,इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भृतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची पदों की संख्या सीधे भर्ती किए जाने वेतन मेट्रिक्स पद का नाम वर्गीकरण चयन पद में स्तर वाले व्यक्तियों के लिए है अथवा आयु-सीमा अचयन पद (1) (2) (3) (4) (5) (6) प्रशिक्षण अधिकारी (ड्रेस 30 वर्ष (केंद्रीय सरकार 143\* (2019) साधारण केन्द्रीय चयन स्तर – 7 मेकिंग, फैशन डिजाइनिंग द्वारा समय-समय पर सेवा समूह 'ख' (44,900-\*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया तथा प्रौद्योगिकी, सिलाई जारी अनुदेशों और राजपत्रित. 1,42,400 रु.) जा सकता है प्रौद्योगिकी. कार्यालय नियमों अनुसार अननुसचिवीय (व्यावसायवार विवरण); कॉस्मेटोलॉजी, सरकारी सेवकों के लिए प्रबन्ध. इलेक्ट्रोनिक्स मैकेनिक. ड्रेस मेकिंग – 25 5 वर्ष तक शिथिलीय डेस्कटाप प्रकाशन फैशन डिजाइनिंग तथा प्रौद्योगिकी -वास्तुविदीय ऑपरेटर. टिप्पणः आयु सीमा 07 एसिसटेंटशीप, अवधारित करने के 3. सिलाई प्रौद्योगिकी - 01 नक्शानवीस. सिविल. लिए निर्णायक तारीख 4. कार्यालय प्रबन्ध - 16 बांस का कार्य. संघ लोक सेवा आयोग फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, द्वारा दिए गए विज्ञापन 5. कॉस्मेटोलोजी - 20 खानपान एवं आतिथ्य. के अनुसार होगी। 6 इलेक्ट्रोनिक्स मेकेनिक -12 आन्तरिक डिजाइन तथा 7. डेस्कटाप प्रकाशन ऑपरेटर – 04 सज्जा. मीडिया संसाधन केंद्र. 8. वास्तुविदीय एसिस्टेंटशीप -16 तकनीकी अधिकारी. 9. नक्शानवीस सिविल - 01 शिक्षण के सिद्धान्त 10. बांस का कार्य - 01 कारबार सेवाएं 11. फल एवं सब्जी प्रसंस्करण – 02 सतह अलंकरण तकनीक) 12. खानपान एवं आतिथ्य - 05 13. आंतरिक डिजायन तथा सज्जा - 03 14. मीडिया संसाधन केंद्र - 02 15. तकनीकी अधिकारी – 04 16. शिक्षण के सिद्धांत - 21 17. कारबार सेवाएं – 01 18. सतह अलंकरण तकनीक – 02

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य बर्हताएं	क्या सीधे मर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोम्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी?	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
1. ड्रेस मेकिंगः	लागू नहीं है	सीधे भर्ती के लिए दो	50% सीधी भर्ती द्वारा;
्र आवश्यक		वर्ष	50% पदोन्नति से, ऐसा न होने की
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय			स्थिति में अल्पकालिक संविदा
अनुदान आयोग/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद			सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(एआईसीटीई) द्वारा स्वीकृत संस्थान से फैशन तथा अप्रिल			
अथवा ड्रेस मेकिंग अथवा कास्ट्यूम डिजाइनिंग तथा ड्रेस			
मेकिंग अथवा फैशन डिजाइनिंग अथवा फैशन प्रौद्योगिकी अथवा परिधान निर्माण प्रौद्योगिकी से इंजीनियरिंग अथवा			
प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री; शिक्षण अथवा उद्योग के			
सुसंगत क्षेत्र में दो वर्ष का अर्हता उपरान्त अनुभव हो; अथवा			
जयपा किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्व विद्यालय			
अनुदान आयोग अथवा एआईसीटीई द्वारा फैशन तथा			
अप्रिल अथवा ड्रेस मेकिंग अथवा कस्टयूम मेकिंग अथवा			
फैशन डिजाइनिंग अथवा फैशन प्रौद्योगिकी अथवा परिधान			
निर्माण प्रौद्योगिकी में स्वीकृत संस्थान से इंजीनियरिंग			
अथवा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा; शिक्षण अथवा उद्योग के			
सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त पांच वर्ष का अनुभव।			
बां <b>छनीयः</b> मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन तकनीकी शिक्षक			
प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा अथवा			
राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी शिल्पकार			
अनुदेशक प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीय शिल्पकार अनुदेशक			
प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय,			
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।			
विद्याय क्षत्र संस्थान सं प्राराक्षण प्रमाणपत्र।  2. फैशन डिजाइन और प्रौद्योगिकीः			
आवश्यकः			
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय			
अनुदान आयोग अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा			
परिषद (एआईसीटीई) द्वारा स्वीकृत संस्थान से फैशन तथा			
अप्रिल अथवा ड्रेस मेकिंग अथवा कास्ट्यूम डिजाइनिंग तथा डेस मेकिंग अथवा फैशन डिजाइनिंग अथवा फैशन			
प्रौद्योगिकी अथवा परिधान निर्माण प्रौद्योगिकी से			
इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री; शिक्षण			
अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में दो वर्ष का अर्हता उपरान्त			
अनुभव हो;			
अथवा			
किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय			
अनुदान आयोग एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत संस्थान से			
फैशन तथा अप्रिल अथवा ड्रेस मेकिंग अथवा कस्टयूम			
डिजायनिंग तथा ड्रेस मेकिंग अथवा फैशन डिजाइनिंग अथवा फैशन प्रौद्योगिकी अथवा परिधान निर्माण			
अथवा फरान प्राद्यागिका अथवा परिधान ।नमाण   प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा;			
शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त			
पांच वर्ष का अनुभव।			
वांछनीयः			
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन तकनीकी शिक्षक			
प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा अथवा			

राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी शिल्पकार अनुदेशक प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीय शिल्पकार अनुदेशक प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।

## 3. सिलाई प्रौद्योगिकीः

### आवश्यकः

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा स्वीकृत संस्थान से फैशन तथा अप्रिल अथवा ड्रेस मेकिंग अथवा कास्ट्यूम डिजाइनिंग तथा ड्रेस मेकिंग अथवा फैशन डिजाइनिंग अथवा फैशन प्रौद्योगिकी अथवा परिधान निर्माण प्रौद्योगिकी से इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री; शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में दो वर्ष का अर्हता उपरान्त अनुभव हो;

#### अथवा

किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत संस्थान से फैशन तथा अप्रिल अथवा ड्रेस मेकिंग अथवा कस्टयूम डिजाइनिंग तथा ड्रेस मेकिंग अथवा फैशन डिजाइनिंग अथवा फैशन प्रौद्योगिकी अथवा परिधान निर्माण प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा; शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त पांच वर्ष का अनुभव।

### वांस्रनीयः

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा अथवा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी शिल्पकार अनुदेशक प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीय शिल्पकार अनुदेशक प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।

## 4. कार्यालय प्रबन्धः

### आवश्यकः

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा स्वीकृत संस्थान से कार्यालय प्रबन्ध अथवा सचिवालीय अभ्यास अथवा सचिवालीय सेवा अथवा आशुलिपि (अंग्रेजी) से इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री; शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में दो वर्ष का अर्हता उपरान्त अनुभव हो;

### अथवा

किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत संस्थान से कार्यालय प्रवन्ध अथवा सचिवालीय अभ्यास अथवा सचिवालीय सेवा अथवा आशुलिपि (अंग्रेजी) इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा; शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त पांच वर्ष का अनुभव।

### वास्त्रनीयः

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा अथवा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी शिल्पकार अनुदेशक प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीय शिल्पकार अनुदेशक प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।

## 5. कॉस्मेटोलोजीः

#### आवश्यकः

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा स्वीकृत संस्थान से कॉस्मेटोलॉजी अथवा सौन्दर्य संस्कृति से इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री; शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में दो वर्ष का अर्हता उपरान्त अनुभव हो;

#### अथवा

किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत संस्थान से कॉस्मेटोलॉजी अथवा सौन्दर्य संस्कृति से इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा; शिक्षण अथवा उद्योग के ससंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त पांच वर्ष का अनुभव।

### वांस्रनीयः

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा अथवा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी शिल्पकार अनुदेशक प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीय शिल्पकार अनुदेशक प्रमाणपत्र अथवा समतुल्य अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।

## 6.इलेक्ट्रोनिक्स मेकेनिकः

#### आवश्यकः

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा स्वीकृत संस्थान से इलेक्ट्रानिक इंजीनियरी अथवा इलेक्ट्रोनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरी से इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री; शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में दो वर्ष का अर्हता उपरान्त अनुभव हो;

## अथवा

किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत संस्थान से इलेक्ट्रानिक इंजीनियरी अथवा इलेक्ट्रोनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरी से इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा; शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त पांच वर्ष का अनुभव।

### वांछनीयः

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा अथवा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी शिल्पकार अनुदेशक प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीय शिल्पकार अनुदेशक प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।

## 7. डेस्कटॉप प्रकाशन ऑपरेटरः

### आवश्यकः

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा स्वीकृत संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान अथवा सूचना प्रौद्योगिकी प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी से इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री; शिक्षण अथवा उद्योग के ससंगत क्षेत्र में दो वर्ष का अर्हता उपरान्त अनुभव हो;

## अथवा

किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अथवा प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा; शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त पांच वर्ष का अनुभव।

### वांछनीयः

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा अथवा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी शिल्पकार अनुदेशक प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीय शिल्पकार अनुदेशक प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।

# 8. वास्तुविदीय एसिस्टेंटशीप

### आवश्यकः

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा स्वीकृत संस्थान वास्तुकला में इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री; शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में दो वर्ष का अर्हता उपरान्त अनुभव हो;

#### अथवा

किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा एआईसीटीई स्वीकृत संस्थान से वास्तुकला में इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा; शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त पांच वर्ष का अनुभव।

### वांछनीयः

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा अथवा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी शिल्पकार अनुदेशक प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीय शिल्पकार अनुदेशक प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।

## 9. नक्शानवीस सिविलः

### आवश्यकः

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा स्वीकृत संस्थान से सिविल इंजीनियरी अथवा वास्तुकला में इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री; शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव हो;

### अथवा

किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग अथवा वास्तुकला में इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा; शिक्षण अथवा उद्योग के ससंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त पांच वर्ष का अनुभव।

### वांछनीयः

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा अथवा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी शिल्पकार अनुदेशक प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीय शिल्पकार अनुदेशक प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय.

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।

## 10. बांस का कार्यः

### आवश्यकः

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत संस्थान से सिविल अथवा मेकेनिकल (यांत्रिक) इंजीनियरिंग अथवा बांस अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी से स्नातक डिग्री; शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव हो;

#### अथवा

िकसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत संस्थान से सिविल अथवा यांत्रिक इंजीनियरी अथवा बांस अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा; शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त पांच वर्ष का अनुभव।

### वांछनीयः

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा अथवा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी शिल्पकार अनुदेशक प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीय शिल्पकार अनुदेशक प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।

## 11. फल एवं सब्जी प्रसंस्करणः

#### आवश्यकः

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी अथवा खाद्य इंजीनियरी अथवा खाद्य प्रसंस्करण अथवा फसल उपरान्त प्रवन्धन में इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री; शिक्षण अथवा उद्योग के ससंगत क्षेत्र में अईता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव हो;

## अथवा

किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी अथवा खाद्य इंजीनियरिंग अथवा खाद्य प्रसंस्करण अथवा फसल उपरान्त प्रबन्धन में इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा; शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त पांच वर्ष का अनुभव।

## वांछनीयः

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा अथवा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी शिल्पकार अनुदेशक प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीय शिल्पकार अनुदेशक प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।

## 12. खानपान एवं आतिथ्यः

## आवश्यक:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत संस्थान से खानपान एवं आतिथ्य में इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री; शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव हो;

## अथवा

किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत संस्थान से खानपान एवं आतिथ्य में इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा; शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त पांच वर्ष का अनुभव।

### वांछनीयः

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा अथवा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी शिल्पकार अनुदेशक प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीय शिल्पकार अनुदेशक प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।

## 13. आन्तरिक डिजाइन सज्जाः

#### आवश्यकः

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत संस्थान से आंतरिक डिजाइन तथा सज्जा में इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री; शिक्षण अथवा उद्योग के ससंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव हो;

#### अथवा

िकसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत संस्थान आंतरिक डिजाइन तथा सज्जा में इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा; शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त पांच वर्ष का अनुभव।

### वांळतीय

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा अथवा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी शिल्पकार अनुदेशक प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीय शिल्पकार अनुदेशक प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।

## 14. मीडिया संसाधन केन्द्रः

### आवश्यकः

िकसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत संस्थान से इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री; शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव हो;

### अथवा

किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत संस्थान इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा; शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त पांच वर्ष का अनुभव।

# वांछनीयः

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा अथवा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी शिल्पकार अनुदेशक प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीय शिल्पकार अनुदेशक प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।

## 15. तकनीकी अधिकारीः

#### आवश्यकः

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत संस्थान से इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री; शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव हो;

#### अथवा

किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत संस्थान से इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा; शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त पांच वर्ष का अनुभव।

## वांछनीयः

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा अथवा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी शिल्पकार अनुदेशक प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीय शिल्पकार अनुदेशक प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।

## 16. शिक्षण के सिद्धान्तः

## आवश्यकः

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत संस्थान से इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री; शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव हो;

### अथवा

किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत संस्थान से इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा; शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त पांच वर्ष का अनुभव।

### वांस्रनीयः

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा अथवा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी शिल्पकार अनुदेशक प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीय शिल्पकार अनुदेशक प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।

### 17. कारबार सेवाएं

### **आवश्यकः**

िकसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत संस्थान से कारबार प्रशासन अथवा कारबार प्रबन्धन अथवा व्यापार अध्ययन में इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री; शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव हो;

### अथवा

िकसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत संस्थान से कारबार प्रशासन अथवा कारबार प्रबन्धन अथवा व्यापार अध्ययन में इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा; शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त पांच वर्ष का अनुभव।

## वांछनीयः

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा अथवा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी शिल्पकार अनुदेशक प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीय शिल्पकार अनुदेशक प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।

## 18. सतह अलंकरण तकनीकः

## आवश्यकः

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत संस्थान से फैशन तथा अप्रिल अथवा ड्रेस मेकिंग अथवा कस्ट्यूम डिजाइनिंग तथा ड्रेस मेकिंग अथवा फैशन डिजाइनिंग अथवा फैशन प्रौद्योगिकी अथवा परिधान निर्माण प्रौद्योगिकी या ड्रेस मेकिंग तथा परिधान विनिर्माण में इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री; शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव हो;

#### अथवा

किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत संस्थान से फैशन तथा अप्रिल अथवा ड्रेस मेकिंग अथवा कस्ट्यूम डिजाइनिंग तथा ड्रेस मेकिंग अथवा फैशन डिजाइनिंग अथवा फैशन प्रौद्योगिकी अथवा परिधान निर्माण प्रौद्योगिकी या ड्रेस मेकिंग तथा परिधान विनिर्माण में इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी से डिप्लोमा; शिक्षण अथवा उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त पांच वर्ष का अनुभव।

## वांछनीयः

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा अथवा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी शिल्पकार अनुदेशक प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीय शिल्पकार अनुदेशक प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोप्ति- वेतन मेट्रिक्स के वेतन स्तर-6 (रु. 35,400- 1,12,400) में महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत व्यावसायिक अनुदेशक अथवा कनिष्ठ तकनीकी सहायक अथवा भण्डारी के रूप में कार्यरत जिनकी ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा हो तथा किसी सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से व्यवसाय की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कम्प्यूटर प्रचालन के क्षेत्र में एम एस ऑफिस (वर्ड, एक्सेल, पावर प्वांइट, इन्टरनेट आदि) में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। प्रतिनियुक्तिः केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य सरकारों के अधिकारीः	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पृष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर होगी:-  1. महानिदेशक अथवा संयुक्त सचिव, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय- अध्यक्ष;  2. निदेशक प्रशिक्षण (महिला प्रशिक्षण), प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय -सदस्य;  3. निदेशक (प्रशासन) अथवा उप सचिव (प्रशासन) अथवा समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय - सदस्य  4. उप सचिव अथवा समतुल्य ओहदे का अधिकारी, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय - सदस्य	सीधी भर्ती के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है।

- (क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृथ पदों पर कार्यरत हों; अथवा
  - (ii) जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के स्तर 6 (रु. 35,400-1,12,400) में पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् प्रदान किए गए श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो अथवा मूल संवर्ग अथवा विभाग में इसके समकक्ष हों;

और

(ख) स्तंभ (7) के अंतर्गत पद पर सीधी भर्ती वालों के लिए यथा विहित शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1: अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके किनष्ठों की पदोन्नति पर विचार करते समय उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा अविध ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा अविध के आधे से ज्यादा कम अथवा दो वर्ष से कम न हो, जो भी इसमें कम हो और उन्होंने अपने किनष्ठों, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि में, केंद्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य विभाग अथवा संगठन में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 (छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति के सीधे क्रम में आते हैं, प्रतिनियुक्ति पर तैनाती के लिए विचार करने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर तैनात व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियक्ति हेत विचारार्थ पात्र नहीं होंगे।  संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण अथवा उप-निदेशक, प्रशिक्षण, (महिला प्रशिक्षण), प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय - सदस्य

[फा.सं.डीजीटी-ए-12017/01/2017 प्रशासन.॥]

राजेश अग्रवाल, महानिदेशक / अपर सचिव

## MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(DIRECTORATE GENERAL OF TRAINING)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd September, 2019

G.S.R. 626(E). – In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Training (Vocational Training Programme for Women) Training Officer/Technical Officer (Group 'B', Gazetted Post), Recruitment Rules, 2003 and the Directorate of Training (Vocational Training Programme for Women) Training Officer, (Group 'B'- Gazetted post) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Training Officer in the workmen's unit as fixed by the Central Government under Women Training, Directorate General of Training, namely:-

- **1. Short title and commencement.** (1)These rules may be called the Directorate General of Training (Women Training), Training Officer, Group 'B', Gazetted, Post Recruitment Rules, 2019.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.** No person,–
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of the age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### **SCHEDULE**

SCHEDULE					
Name of post	Number of post	Classification	Level in the	Whether	
			pay matrix	selection post or non-	
				selection post	
(1)	(2)	(3)	(4)	•	
` /	(2)	` ′	` '	(5)	
Training Officer	143*(2019)	General	Level -7.	Selection.	
(Dress Making,	* Subject to variation dependent on	Central Service,	Rs.(44,900-		
Fashion Design and	workload	Non-	1,42,400).		
Technology,	(Trade wise break-up):	Ministerial,			
Sewing Technology,	1. Dress Making-25	Gazetted.			
Office Management,	2. Fashion Design and Technology-07	Group 'B'.			
Cosmetology,	3. Sewing Technology-01	•			
Electronics Mechanic,	4. Office Management-16				
Desktop Publishing	5. Cosmetology-20				
Operator,	6. Electronics Mechanic-12				
Architectural	7. Desktop Publishing Operator-04				
Assistantship,	8. Architectural Assistantship-16				
Draughtsman Civil,	9. Draughtsman Civil-01				
Bamboo Works,	10. Bamboo Works-01				
Fruit and Vegetables	11. Fruit and Vegetables Processing-02				
Processing,	12. Catering and Hospitality-05				
Catering and Hospitality,	13. Interior Design and Decoration-03				
Interior Design and	14. Media Resource Centre-02				
Decoration,	15. Technical Officer-04				
Media Resource Centre,	16. Principles of Teaching-21				
Technical Officer,	17. Business Services-01				
Principles of Teaching,					
Business Services,	18. Surface Ornamentation Technique-02				
Surface Ornamentation					
Technique)					

Age limits for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for
		direct recruits will apply in case
		of promotees.
(6)	(7)	(8)
30 years (relaxable for	1. Dress Making: Essential:	Not applicable.
Government servants upto 5 years in accordance with instructions or orders issued	Bachelors degree in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in the Fashion and Apparel or Dress Making or Costume Designing and Dress Making or Fashion Designing or Fashion Technology or Garment Fabrication Technology; with two years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry;	
by the Central Government).  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	Diploma in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in the Fashion and Apparel or Dress Making or Costume Designing and Dress Making or Fashion Designing or Fashion Technology or Garment Fabrication Technology; with five years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry.  Desirable:	
	Teachers Training Diploma from Technical Teachers Training Institute under the Ministry of Human Resources Development or Crafts Instructor Certificate or National Crafts Instructor Certificate or equivalent issued by National Council for Vocational Training. or Training Certificate from Central Field Institutes under Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.	
	2. Fashion Design and Technology:	
	Essential:  Bachelors degree in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Fashion and Apparel or Dress Making or Costume Designing and Dress Making or Fashion Designing or Fashion Technology or Garment Fabrication Technology; with two years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry;	
	Diploma in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Fashion and Apparel or Dress Making or Costume Designing and Dress Making or Fashion Designing or Fashion Technology or Garment Fabrication Technology; with five years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry.	
	Desirable:  Teachers Training Diploma from Technical Teachers Training Institute under the Ministry of Human Resources Development or Crafts Instructor Certificate or National Crafts Instructor Certificate or equivalent issued by National Council for Vocational Training. or Training Certificate from Central Field Institutes under Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.	
	3.Sewing Technology:	
	Essential:  Bachelors degree in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Fashion and Apparel or Dress Making or Costume Designing and Dress Making or Fashion Designing or Fashion Technology or	

Garment Fabrication Technology; with two years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry;

or

Diploma in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Fashion and Apparel or Dress Making or Costume Designing and Dress Making or Fashion Designing or Fashion Technology or Garment Fabrication Technology; with five years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry.

### **Desirable:**

Teachers Training Diploma from Technical Teachers Training Institute under the Ministry of Human Resources Development or Crafts Instructor Certificate or National Crafts Instructor Certificate or equivalent issued by National Council for Vocational Training. **or** Training Certificate from Central Field Institutes under Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

### 4. Office Management:

### **Essential:**

Bachelors degree in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Office Management or Secretarial Practice or Secretarial Services or Stenography (English); with two years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry;

or

Diploma in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Office Management or Secretarial Practice or Secretarial Services or Stenography (English); with five years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry.

### Desirable:

Teachers Training Diploma from Technical Teachers Training Institute under the Ministry of Human Resources Development or Crafts Instructor Certificate or National Crafts Instructor Certificate or equivalent issued by National Council for Vocational Training. **or** Training Certificate from Central Field Institutes under Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

## 5. Cosmetology:

### **Essential:**

Bachelors degree in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Cosmetology or Beauty Culture; with two years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry;

or

Diploma in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Cosmetology or Beauty Culture; with five years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry.

## Desirable:

Teachers Training Diploma from Technical Teachers Training Institute under the Ministry of Human Resources Development or Crafts Instructor Certificate or National Crafts Instructor Certificate or equivalent issued by National Council for Vocational Training. **or** Training Certificate from Central Field Institutes under Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

### 6. Electronics Mechanic:

### **Essential:**

Bachelors degree in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Electronic Engineering or Electronics and Communication Engineering; with two years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry;

or

Diploma in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Electronic Engineering or Electronics and Communication Engineering; with five years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry.

#### **Desirable:**

Teachers Training Diploma from Technical Teachers Training Institute under the Ministry of Human Resources Development or Crafts Instructor Certificate or National Crafts Instructor Certificate or equivalent issued by National Council for Vocational Training. **or** Training Certificate from Central Field Institutes under Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

## 7. Desktop Publishing Operator:

### **Essential:**

Bachelors degree in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Computer Science or Information Technology or Printing Technology; with two years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry;

or

Diploma in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Computer Science or Information Technology or Printing Technology; with five years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry.

### **Desirable:**

Teachers Training Diploma from Technical Teachers Training Institute under the Ministry of Human Resources Development or Crafts Instructor Certificate or National Crafts Instructor Certificate or equivalent issued by National Council for Vocational Training. **or** Training Certificate from Central Field Institutes under Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

## 8. Architectural Assistantship:

## **Essential:**

Bachelors degree in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Architecture; with two years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry;

or

Diploma in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Architecture; with five years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry.

### **Desirable:**

Teachers Training Diploma from Technical Teachers Training Institute under the Ministry of Human Resources Development or Crafts Instructor Certificate or National Crafts Instructor Certificate or equivalent issued by National Council for Vocational Training. **or** Training Certificate from Central Field Institutes under Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

## 9. Draughtsman Civil:

## **Essential:**

Bachelors degree in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Civil Engineering or Architecture; with two years post

qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry;

or

Diploma in Engineering / Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Civil Engineering or Architecture; with five years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry.

### **Desirable:**

Teachers Training Diploma from Technical Teachers Training Institute under the Ministry of Human Resources Development or Crafts Instructor Certificate or National Crafts Instructor Certificate or equivalent issued by National Council for Vocational Training. **or** Training Certificate from Central Field Institutes under Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

#### 10. Bamboo Works:

#### **Essential:**

Bachelors degree in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Civil or Mechanical Engineering or Bamboo Application Technology; with two years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry;

01

Diploma in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Civil or Mechanical Engineering or Bamboo Application Technology; with five years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry.

### Desirable:

Teachers Training Diploma from Technical Teachers Training Institute under the Ministry of Human Resources Development or Crafts Instructor Certificate or National Crafts Instructor Certificate or equivalent issued by National Council for Vocational Training. **or** Training Certificate from Central Field Institutes under Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

## 11. Fruit and Vegetables Processing:

### Eccential:

Bachelors degree in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Food Technology or Food Engineering or Food Processing or Post Harvest Management; with two years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry;

or

Diploma in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Food Technology or Food Engineering or Food Processing or Post Harvest Management; with five years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry.

### Desirable:

Teachers Training Diploma from Technical Teachers Training Institute under the Ministry of Human Resources Development or Crafts Instructor Certificate or National Crafts Instructor Certificate or equivalent issued by National Council for Vocational Training. **or** Training Certificate from Central Field Institutes under Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

## 12. Catering and Hospitality:

## **Essential:**

Bachelors degree in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Catering and Hospitality; with two years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry;

01

Diploma in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Catering & Hospitality; with five years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry.

#### **Desirable:**

Teachers Training Diploma from Technical Teachers Training Institute under the Ministry of Human Resources Development or Crafts Instructor Certificate or National Crafts Instructor Certificate or equivalent issued by National Council for Vocational Training. **or** Training Certificate from Central Field Institutes under Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

### 13. Interior Design and Decoration:

### **Essential:**

Bachelors degree in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Interior Design and Decoration; with two years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry;

or

Diploma in Engineering or Technology from any recognized University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Interior Design and Decoration; with five years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry.

### Desirable:

Teachers Training Diploma from Technical Teachers Training Institute under the Ministry of Human Resources Development or Crafts Instructor Certificate or National Crafts Instructor Certificate or equivalent issued by National Council for Vocational Training. **or** Training Certificate from Central Field Institutes under Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

## 14. Media Resource Centre:

## **Essential:**

Bachelors degree in any Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education; with two years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry;

or

Diploma in any Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education; with Five years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry;

### Desirable:

Teachers Training Diploma from Technical Teachers Training Institute under the Ministry of Human Resources Development or Crafts Instructor Certificate or National Crafts Instructor Certificate or equivalent issued by National Council for Vocational Training. **or** Training Certificate from Central Field Institutes under Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

## 15. Technical Officer:

### **Essential:**

Bachelors degree in any Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education; with two years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry;

or

Diploma in any Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for

Technical Education; with Five years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry;

## Desirable:

Teachers Training Diploma from Technical Teachers Training Institute under the Ministry of Human Resources Development or Crafts Instructor Certificate or National Crafts Instructor Certificate or equivalent issued by National Council for Vocational Training. **or** Training Certificate from Central Field Institutes under Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

## 16. Principles of Teaching:

#### **Essential:**

Bachelors degree in any Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education; with two years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry;

01

Diploma in any Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education; with Five years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry;

#### Desirable:

Teachers Training Diploma from Technical Teachers Training Institute under the Ministry of Human Resources Development or Crafts Instructor Certificate or National Crafts Instructor Certificate or equivalent issued by National Council for Vocational Training. **or** Training Certificate from Central Field Institutes under Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

### 17. Business Services:

### **Essential:**

Bachelors degree in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Business Administration or Business Management or Business Studies; with two years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry;

or

Diploma in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Business Administration or Business Management or Business Studies; with five years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry;

### Desirable:

Teachers Training Diploma from Technical Teachers Training Institute under the Ministry of Human Resources Development or Crafts Instructor Certificate or National Crafts Instructor Certificate or equivalent issued by National Council for Vocational Training. **or** Training Certificate from Central Field Institutes under Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

## 18. Surface Ornamentation Technique:

## **Essential:**

Bachelors degree in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical Education in Fashion and Apparel or Dress Making or Costume Designing and Dress Making or Fashion Designing or Fashion Technology or Garment Fabrication Technology or Dress Making and Garment Manufacturing; with two years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry;

or

Diploma in Engineering or Technology from any recognised University or Institute approved by University Grant Commission or All India Council for Technical

Education in Fashion and Apparel or Dress Making or Costume Designing and Dress Making or Fashion Designing or Fashion Technology or Garment Fabrication Technology or Dress Making and Garment Manufacturing; with five years post qualification experience in the relevant field of Teaching or Industry.

### Desirable:

Teachers Training Diploma from Technical Teachers Training Institute under the Ministry of Human Resources Development or Crafts Instructor Certificate or National Crafts Instructor Certificate or equivalent issued by National Council for Vocational Training. **or** Training Certificate from Central Field Institutes under Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(9) Two years for direct recruits.	(10) Fifty percent by direct recruitment; Fifty percent by promotion failing which deputation including short term contract.	Promotion: Vocational Instructor or Junior Technical Assistant or Store Keeper working under the Women Vocational Training Programme in the pay level-6 (Rs. 35,400-1,12,400) of pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed four weeks training in the area of Computer Operations in MS Office (Word, Excel, PowerPoint. Internet etc.) from any Government or Government recognised Training Institute to fulfil the trade requirements.  Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level-6 (Rs. 35,400 - 1,12,400) of pay matrix or equivalent in the parent	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:  1. Director General or Joint Secretary, Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship - Chairperson;  2. Director of Training (Women Training), Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship - Member;  3. Director (Administration) or Deputy Secretary (Administration), or an officer of equivalent rank, Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship - Member;  4. Deputy Secretary or an officer of equivalent rank, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship - Member;  5. Joint Director of Training or Deputy Director of Training (Women Training), Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship - Member;  5. Joint Director of Training (Women Training), Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making Direct recruitment.

THE GAZETTE OF INDIA:	EATRAORDINART [F	ART II—SEC. 3(1)]
cadre or department;		
and		
(b) Possessing the		
educational qualifications		
and experience of the post		
as prescribed for direct		
recruits under column (7).		
Note 1: Where juniors who		
have completed their		
-		
qualifying or eligibility service are being considered		
for promotion, their senior		
would also be considered		
provided they are not short		
of the requisite qualifying		
or eligibility service by		
more than half of such		
qualifying or eligibility		
service or two years,		
whichever is less and have		
successfully completed		
their probation period for		
promotion to the next		
higher grade along with		
their juniors who have		
already completed such		
qualifying or eligibility		
service.		
Note 2: The period of		
deputation including the		
period of deputation in		
another ex-cadre post held		
immediately preceding this		
appointment in the same or		
some other organization or		
department of the Central		
Government shall ordinarily		
not exceed three years. The		
Maximum age-limit for		
appointment by deputation		
shall be 'Not exceeding 56		
years' as on the last date of		
receipt of applications.		
Note 3: The departmental		
officers in the feeder		
category who are in the		
direct line of promotion		
shall not be eligible for		
consideration for		
appointment on deputation.		
Similarity, deputationist		
shall not be eligible for		
consideration for		
appointment by promotion.		

[F.No. DGT-A-12017/01/2017-Adm.-II] RAJESH AGGARWAL, Director General/Addl. Secy.